

SHIBITED SWIN

भाग 11—कव्य ३—वर्ग-वर्ष (॥) PART II Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

नई बिल्ली, बद्यबार, सितम्बर 27, 1989/आश्विम 5, 1911 **⊭ सं**० 611ो No. 6111 NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 27, 1989/ASVINA 5, 1911

इस भाग में भिन्न पुष्ठ संस्था वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

भादेश

मई विल्ली, 27 सितम्बर, 1989

का.चा. 763(म) :- स्वापक भीषध हण्य भीर मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 क की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रवस्त मक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय शरकार एतदब्वास भारत सरकार के विस्त मंत्रालय के प्रधीन सीमागुरक, केन्द्रीय उत्पाद शरक, नाकॉटिक्स, राजस्व

भासूचना, केन्द्रीय धार्षिक धासूचना ब्यूरो तथा नार्कोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो के विभागों में निरीक्षक के स्तर के अधिकारियों तथा उनसे उन्ने रैंक के घिंधकारियों को उक्त प्रधिनियम के तहन किसी अपराध के सम्बन्ध में विशेष न्यायालयों के समक्ष णिकायने वायर करने के लिए प्राधिकृत करनी है।

> [सं. 13/89-फा.सं. 664/99/89-अफीम] ए.सी. सल्डामा, अपर सजिब

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 27th September, 1989

S.O. 768 (E):—In exercise of the powers conferred by clause (d) of subsection (1) of section 86A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby authorises the officers of and above the rank of Inspector in the Department of Customs, Central Excise, Narcotics, Revenue Intelligence, Central Economic Intelligence Bureau and the Narcotics Control Bureau under the Ministry of Finance, Government of India for filing of complaints relating to an offence under the said Act before Special Courts.

[No. 13|89-F. No. 664|99|89-OPIUM] A. C. SALDANHA, Addl. Secy.